(अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति)

समक्ष अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति

किरण बाला और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

बरखा राम और अन्य-प्रतिवादीगण

आर. एस. ए. नं०.728-2013

3 फरवरी, 2020

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) पंजीकृत इच्छा पत्र-संदिग्ध परिस्थितियाँ-क्या न्यायालय के लिए इस आधार पर पंजीकृत वसीयत (मनोवृति इच्छा पत्र) को त्यागना उचित है कि यह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है जिसका कोई आधार या सार नहीं है?–

आयोजित, पंजीकृत मनोवृति वसीयतनामा को अदालत द्वारा केवल कथित संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिसका कोई आधार या आधार नहीं है।

आयोजित, न्यायालय को यह घोषित करने से पहले कि एक पंजीकृत मनोवृति इच्छा पत्र संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, प्रत्येक मामले के संदर्भ में साक्ष्य का गंभीर विश्लेषण करने और उसके बाद इस पहलू पर एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता है।न्यायालय को समाज में निष्पादक की शिक्षा, वित्तीय स्थिति और स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा।एक दिए गए मामले में एक वसीयतकर्ता के संबंध में, जो अनपढ़ और एक देहाती ग्रामीण है, संदिग्ध परिस्थितियाँ उच्च कद के व्यक्ति द्वारा एक वसीयत से अलग हो सकती हैं, जो पर्याप्त रूप से शिक्षित है।

तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा एक पंजीकृत वसीयती स्वभाव को केवल कथित संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिसका कोई आधार या आधार नहीं है।

(पैरा 20)

सुनील पंवार, अधिवक्ता और गोपाल शर्मा, अधिवक्ता
अपीलार्थियों के लिए
संतोष शर्मा, प्रतिवादीगण के वकील

अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति

(1) प्रतिवादीगण-अपीलकर्ताओं ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ नियमित दूसरी अपील दायर की है। विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने विद्वान निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया है।

(2) इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, विचार के लिए कानून का निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता हैः-

"क्या न्यायालय के लिए किसी पंजीकृत वसीयत (मनोवृति इच्छा पत्र) को इस आधार पर खारिज करना उचित है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है जिसका कोई आधार या सार नहीं है?"

तथ्यः -

(3) स्वर्गीय श्री. साधु राम इस मुकदमे के पक्षकारों के सामान्य पूर्वज थे।स्वर्गीय श्री. साधु राम ने शुरू में जतान देवी से शादी की थी।स्वर्गीय श्री. साधु राम दो कार्यकाल के लिए विधान सभा के सदस्य (विधायक) के रूप में चुने गए थे।वे एक स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे।जतान देवी के साथ विवाह से दो पुत्रों का जन्म हुआ जिनके नाम सरदार सिंह और बरखा राम थे। बताया जाता है कि जतान देवी की मृत्यु होना हो गई थी।स्वर्गीय श्री. साधु राम ने सरदार सिंह और बरखा राम, अपने बेटों के पक्ष में दो अलग-अलग भूखंड दो बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदे, पहला दिनांक 16.02.1959 24 बीघा और 19 बिस्वा भूमि के संबंध में, जबकि दूसरा दिनांक 18.03.1963 73 कनाल 7 मरला भूमि के संबंध में ! उपरोक्त बिक्री विलेख में भूमि का आधा हिस्सा गंगा राम (साधु राम के भाई) की पत्नी के नाम पर खरीदा गया था और शेष आधा हिस्सा सरदार सिंह और बरखा राम के नाम पर खरीदा गया था। कहा जाता है कि साधु राम ने श्रीमती जवांत्री देवी से पहली पत्नी जतान देवी की मृत्यु के बाद शादी की थी ।दूसरी शादी से तीन बेटे राम निवास, वरिंदर पाल और सुशील कुमार और चार बेटियां संतोष कुमार, सुदेश, कुसुम और रीता पैदा हुए ।

(4) साधु राम पर 27.8.2003 को एक पंजीकृत वसीयत (वसीयतनामा) को निष्पादित करने का आरोप है। उन्होंने उसी दिन एक सामान्य मुख्त्या रनामा भी निष्पादित किया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे राम निवास को किसी भी तरह से संपत्ति से निपटने के लिए अधिकृत करके उनकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया।साधु राम के सामान्य मुख्त्या रनामा के रूप में राम

निवास ने दो उपहार विलेखों को निष्पादित किया-एक उनकी मां जवांत्री देवी के पक्ष में 29 कनाल 13 मरला की भूमि के संबंध में, जबकि दूसरा उपहार विलेख दो भाइयों और उनकी अपनी पत्नी के पक्ष में 89 कनाल और 6 मरला की भूमि के संबंध में निष्पादित किया ।

(5) वादीगण सरदार सिंह और बरखा राम ने वसीयत, सामान्य मुख्त्या रनामा और उपहार विलेखों की शुद्धता को चुनौती देते हुए वर्तमान मुकदमा दायर किया।उन्होंने दावा किया कि वसीयत और सामान्य मुख्त्या रनामा जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं। इस प्रकार, वादीगण ने दावा किया कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अनुसार वे संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं।

(6) प्रतिवादिगण ने मुकदमे का विरोध किया और दलील दी कि वादीगण ने इस तथ्य को छुपाया है कि साधु राम ने ऊपर उल्लिखित भूमि 1959 और 1963 में सरदार सिंह और बरखा राम के नाम पर खरीदी थी। आगे यह भी दलील दी गई कि वादी कई वर्षों से अलग रह रहे हैं और वे अपने पिता साधु राम के संपर्क में नहीं थे।

(7) विद्वान निचली अदालत ने वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों को तैयार करने के बाद पक्षों को साक्ष्य देने की अनुमति दी।वादी नं.2 बरखा राम वादीगण गवाह 1 के रूप में साक्ष्य में पेश हुआ और स्वीकार किया कि उनके पिता साधू राम ने उनके नाम पर जमीन के दो टुकड़े खरीदे थे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।उसने यह भी स्वीकार किया कि उसका पिता हरियाणा राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता था और वह ना केवल तहसील नारायणगढ़ में बल्कि पूरे पंजाब और हरियाणा राज्यों में जाना जाता था।उसने यह भी स्वीकार किया कि जब साधु राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था या उसे छुट्टी दी गई, तब वह वहां मौजूद नहीं था । उसने यह भी स्वीकार किया कि चूंकि वह काफी समय से गाँव से स्थानांतरित हो गया, इसलिए वह ज्यादा तथ्य नहीं जनता है। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि बरखा राम ने दावा किया कि वह कानूनी पेशे में हैं (1979 से नारायणगढ़ में वकालत कर रहे हैं)। उसने यह भी स्वीकार किया कि 1987 में उसने अपना आवास नारायणगढ़ में स्थानांतरित कर दिया।

(8) प्रतिवादियों ने अपने मामले को साबित करने के लिए सुशील कुमार –प्रतिवादीगण गवाह 3 (स्वर्गीय श्री साधू राम के पुत्र) हरभजन सिंह, पंजीकृत वसीयत, सामान्य मुख्त्या रनामा और उपहार विलेखों को प्रमाणित करने वाले गवाह से पूछताछ की। नम्बरदार हरभजन सिंह ने प्रतिवादियों के मामले का समर्थन किया है और वसीयत, सामान्य मुख्त्या रनामा के साथ-साथ

उपहार विलेखों के निष्पादन और पंजीकरण को साबित किया है।श्री हरभजन सिंह गाँव कंधाईवाला के नम्बरदार हैं जहाँ स्वर्गीय श्री. साधु राम रहते थे।सरकारी मेडिकल कॉलेज, सेक्टर 32, चंडीगढ़ के फाइल रिस्टोरर तिरलोक नाथ की प्रतिवादीगण गवाह 3 के रूप में जांच की गई है ताकि यह साबित किया जा सके कि स्वर्गीय श्री. साधु राम को 7.8.2003 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6.9.2003 पर छुट्टी दे दी गई। उसने आगे साबित किया कि साधु राम को 27.08.2003 दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे के बीच थोड़े समय के लिए अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी गई थी । उसने सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र Ex.D10 और D11 को साबित किया, जिसमें स्वर्गीय श्री साधू राम को हस्पताल छोड़ने की अनुमति दी गई थी। परवीन कुमार, लेखक से भी प्रतिवादीगण गवाह 4 के रूप में पूछताछ की गई । वह दो उपहार विलेखों के लेखक हैं जिन्हें 29.08.2003 निष्पादित और पंजीकृत किया गया । काबुल चंद की जाँच प्रतिवादीगण गवाह 5 के रूप में की गई है जिसने बिक्री विलेख संख्या 163 प्रदर्श D3 का अनुवाद किया है। दोनों उपहार विलेखों के एक अन्य मामूली गवाह गुरचरण सिंह से प्रतिवादीगण गवाह 6 के रूप में पूछताछ की गई है। वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा के लेखक प्रदीप कुमार से भी प्रतिवादीगण गवाह 7 के रूप में पूछताछ की गई है।वह एक लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज़ लेखक (लेखक) हैं और उन्होंने वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा की प्रविष्टि को साबित करने वाली नोट बुक की प्रति प्रस्तुत की है, जिसे उनके द्वारा लिखा गया है। वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा के एक अन्य प्रमाणक गवाह जय लाल से प्रतिवादीगण गवाह 8 के रूप में पूछताछ की गई है।राम निवास, उपपंजीयक कार्यालय के पंजीकरण क्लर्क को प्रतिवादीगण गवाह 9 के रूप में जांचा गया है।

(9) विद्वान निचली अदालत ने साक्ष्य की सराहना पर पाया कि वसीयतनामा को स्वर्गीय श्री साधू राम द्वारा निष्पादित और पंजीकृत किया गया सिद्ध हो जाता है

और यह संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा नहीं होता है। निचली अदालत ने स्वर्गीय श्री साधू राम द्वारा निष्पादित और पंजीकृत सामान्य मुख्त्यारनामा को भी उसके बेटे के पक्ष में बरकरार रखा। नतीजतन, दिनांक 29.8.2003 उपहार विलेखों को भी बरकरार रखा गया।

(10) हालाँकि, अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों को दर्ज करते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को उलट दिया है:-

(i) प्रतिवादियों ने यह साबित करने के लिए किसी भी डॉक्टर की जांच नहीं की है कि

वसीयतकर्ता स्वर्गीय श्री. साधु राम सचेत, सतर्क और वसीयत को लागू करने में सक्षम थे।

(ii) वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा को उसी दिन निष्पादित किया गया है यानी 27.8.2003, जो संदेह पैदा करता है।

(iii) प्रमाणित करने वाले गवाह हरभजन सिंह की तस्वीर, गवाहों की उन तस्वीरों में शामिल नहीं है जो कागजों के पीछे की ओर छपी हैं, जिन पर वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा लिखे हुए हैं और इसलिए, दस्तावेज़ के निष्पादन के समय हरभजन सिंह की उपस्थिति संदिग्ध है।

(iv) केवल दो दिनों के अंतराल के बाद, राम निवास ने अपने पिता साधु राम की ओर से दो उपहार पत्रों को निष्पादित किया। साधु राम ने स्वयं कथित उपहार विलेखों को क्यों नहीं अंजाम दिया, इसका कोई कारण सामने नहीं आ रहा है।

(v) वसीयतकर्ता का पुत्र-राम निवास वसीयत के निष्पादन के समय मौजूद था।

(11) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनकी समर्थ सहायता से, नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(12) एक ओर अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वादी ने इस तथ्य को छुपाया था कि स्वर्गीय श्री साधु राम ने उनके नाम पर संपत्ति खरीदी है। हरभजन सिंह गाँव कंधाईवाला के नंबरदार हैं जहाँ साधु राम रहते थे।वसीयत पर तीन प्रमाणित करने वाले गवाहों के हस्ताक्षर हैं और तीन में से दो प्रमाणित करने वाले गवाहों की तस्वीरें वसीयत के साथ-साथ सामान्य मुख्त्यारनामा पर भी छापी गई हैं। उसने वसीयत दर्ज करने के समय उप-पंजीयक की उपस्थिति में हरभजन सिंह नंबरदार के हस्ताक्षरों की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि हरभजन सिंह की उपस्थिति के बारे में शायद ही कोई संदेह हो। उसने आगे कहा कि वकील जय लाल, एक अन्य वसीयत के प्रमाणक गवाह के साथ-साथ सामान्य मुख्त्यारनामा के भी गवाही में पेश हुए हैं और उपरोक्त दस्तावेज़ के निष्पादन और पंजीकरण को साबित किया है। उसने आगे कहा कि दो उपहार विलेख केवल सभी के हितों की रक्षा के लिए किए गए थे क्योंकि साधु राम ने व्यक्त किया था कि हालांकि उसने अपने तीन बेटों के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया था, लेकिन चूंकि दूसरी पत्नी जवंत्री देवी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए राम निवास को अपनी पत्नी जवंत्री देवी के नाम पर कुछ भूमि हस्तांतरित करनी चाहिए। तदनुसार, श्रीमती जवांत्री देवी के पक्ष में 29 कनाल 13 मरला

की भूमि हस्तांतरित करते हुए उपहार विलेखों को निष्पादित किया गया। इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गलत है।

(13) दूसरी ओर, प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि बरखा राम गवाही में पेश हुआ हैं और कहा है कि वह नियमित रूप से अपने पिता के संपर्क में था। उसने आगे कहा कि वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित स्वर्गीय श्री साधू राम की तस्वीर पर एक नंगी नज़र डालें जो दिखाएगी कि साधु राम उस समय चश्मा नहीं पहने थे, हालांकि, साधु राम नियमित रूप से चश्मा पहनते थे। उसने आगे प्रस्तुत किया कि Ex.D10 और D11, श्री साधू राम को अस्पताल की अनुमति दो घंटे के लिए अस्पताल छोड़ना साबित नहीं हुआ है। उसने आगे कहा कि प्रमाणक गवाह जय लाल ने स्वीकार किया है कि वह दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करता था जैसा कि लेखक ने बताया था।इसलिए, वह एक स्वतंत्र गवाह नहीं है।

(14) आइए पहले हम विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों का विश्लेषण करें।चिकित्सक की गैर-जाँच निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य एक कारक है।हालाँकि, डॉक्टर की जाँच के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री. साधु राम उस समय मानसिक रूप से सतर्क साबित नहीं हुए जब कथित वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा को निष्पादित और पंजीकृत किया गया था।यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सावधानीपूर्वक Ex.D11 को पढ़ने पर, यह विशेष रूप से लिखा जाता है कि रोगी पूरी तरह से होश में है, लेकिन चलने में असमर्थ है। उपरोक्त दस्तावेज़ अस्पताल के एक अधिकारी तिरलोक नाथ के साक्ष्य के माध्यम से साबित हुआ है, जिन्होंने डॉक्टर के हस्ताक्षर को पहचाना।यह भी सबूत में आया है कि साधु राम को 6.9.2003 पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। साधु राम की मृत्यु 11.9.2003 को हुई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, साधु राम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।वे दो बार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य रहे।वे सक्रिय राजनीति में थे।वे एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे।ऐसी परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि साधु राम अस्पताल में भर्ती थे और वसीयत को निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए अस्पताल से आए थे, यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि पंजीकृत वसीयत संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई है और इसलिए, विशेष रूप से, जब वसीयत को उनके तीन बेटों के पक्ष में संपत्ति की वसीयत करते हुए निष्पादित किया गया है, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।यह फाइल में साबित होता है और बरखा राम-वादी संख्या 2 द्वारा स्वीकार किया जाता

है कि साधु राम ने भी उनके नाम पर दो अलग-अलग खंडो में संपत्ति खरीदी थी जब वे नाबालिग थे।इस प्रकार, श्री. साधु राम ने अपनी संपत्ति के वितरण को विनियमित किया।इन परिस्थितियों में, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया पहला कारण गलत है।

(15) विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा कारण भी उतना ही गलत है।एक बार स्वर्गीय श्री. साधु राम ने दो घंटे के लिए अस्पताल छोड़ने की अनुमति मांगी और उन्हें अनुमति दी गई, विशेष रूप से जब उन्हें गुर्दे की विफलता से पीड़ित होने का पता चला, तो उसी दिन वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण के साथ-साथ सामान्य मुख्त्यारनामापर संदेह नहीं किया जा सकता है।जाहिर है, साधु राम, जो अस्पताल में भर्ती थे, इस दुनिया को छोड़ने के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंधन की व्यवस्था करना चाहते थे।इन परिस्थितियों में, एक ही दिन वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामाका निष्पादन और पंजीकरण किसी भी संदिग्ध परिस्थिति को जन्म नहीं देता है जो एक पंजीकृत वसीयत की अनदेखी करने के लिए पर्याप्त है।

(16) विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया अगला कारण यह है कि हरभजन सिंह की उपस्थिति साबित नहीं हुई है क्योंकि वसीयत पर उनकी तस्वीर नहीं छापी गई थी।यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि वसीयत के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि वसीयत को तीन सत्यापित करने वाले गवाहों राम सिंह, हरभजन सिंह और जय लाल द्वारा सत्यापित किया जाता है। हरभजन सिंह और जय लाल गवाही में पेश हुए हैं। हरभजन सिंह ने भी पंजीकरण के समय उप-पंजीयक के समक्ष हस्ताक्षर किए हैं।इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि हरभजन सिंह मौजूद नहीं था । राम सिंह और जय लाल की संयुक्त तस्वीर गवाहों की तस्वीर के लिए बने बॉक्स में छपी हुई है। इस प्रकार हरभजन सिंह की उपस्थिति वसीयत और सामान्य मुख्त्यारनामा के निष्पादन और पंजीकरण के समय साबित होता है।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल इस आधार पर हरभजन सिंह की उपस्थिति पर संदेह करने में गलती की कि उनकी तस्वीर मुद्रित नहीं की गई है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एक बार दो सत्यापित करने वाले गवाहों की तस्वीर छप जाने के बाद, विशेष रूप से जब दो गवाहों द्वारा वसीयत को प्रमाणित किया जाता है, तो हरभजन सिंह की तस्वीर की अनुपस्थिति को संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है।

(17) विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने इस आधार पर उपहार विलेखों की शुद्धता पर संदेह करने में गलती की है कि उपरोक्त उपहार विलेखों को वसीयत के निष्पादन के दो दिनों के बाद

निष्पादित किया गया है और साधु राम ने स्वयं उपहार विलेखों को क्यों निष्पादित नहीं किया।इस पहलू की जाँच वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में की जानी चाहिए।यह सबूत में आया है कि साधु राम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे केवल दो घंटे के लिए अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी गई थी। उन दो घंटों में, उसने वसीयत के साथ-साथ सामान्य मुख्त्यारनामा को भी निष्पादित और पंजीकृत किया। एक बार जब उन्होंने अपने बेटे राम निवास को अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया, तो प्रतिनिधि के माध्यम से उपहार विलेखों के निष्पादन और पंजीकरण को संदेह के साथ नहीं देखा जा सकता है।

(18) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सौंपा गया अंतिम कारण कि वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण के समय राम निवास मौजूद था और वह वो व्यक्ति था जिसने साधु राम को अस्पताल से उप-पंजीयक के कार्यालय तक ले जाने की व्यवस्था की थी, यह दर्शाता है कि राम निवास साधु राम की देखभाल कर रहा था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राम निवास ने साधू राम की इच्छा को प्रभावित किया था। साधु राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जीवन को देखा था।उन्होंने समाज में एक दर्जा हासिल किया था।इन परिस्थितियों में, न्यायालय के लिए यह मान लेना उचित नहीं होगा कि केवल इसलिए कि उनका बेटा वसीयत के निष्पादन और पंजीकरण के समय मौजूद था, साधु राम अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकते थे।

(19) इसी तरह, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि स्वर्गीय श्री साधु राम ने चश्मा नहीं पहना था, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इस बात के सबूत के अभाव में खारिज कर दिया जाना चाहिए कि साधु राम फोटो खिंचवाने के समय भी हमेशा चश्मा पहनते थे।

(20) इस मामले का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 27.8.2003 को साधु राम ने चार अलग-अलग स्थानों पर सामान्य मुख्त्यारनामा के साथ-साथ वसीयत पर धाराप्रवाह से अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए । उनकी दो तस्वीरें वसीयत के साथ-साथ सामान्य मुख्त्यारनामा पर भी छपी हैं।उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन वसीयत साबित होती है और यह किसी भी संदिग्ध परिस्थिति से घिरी नहीं है।न्यायालय को यह घोषित करने से पहले कि एक पंजीकृत मनोवृति वसीयतनामा संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा हुआ है, प्रत्येक

मामले के संदर्भ में साक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करने और उसके बाद इस पहलू पर एक निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है।न्यायालय को समाज में निष्पादक की शिक्षा, वित्तीय स्थिति और स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा।एक दिए गए मामले में एक वसीयतकर्ता के संबंध में, जो अनपढ़ और एक देहाती ग्रामीण है, संदिग्ध परिस्थितियाँ उच्च कद के व्यक्ति द्वारा एक वसीयत से अलग हो सकती हैं, जो पर्याप्त रूप से शिक्षित है।

(21) तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा एक पंजीकृत वसीयती स्वभाव को केवल कथित संदिग्ध परिस्थितियों के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए जिसका कोई आधार या आधार नहीं है।

(22) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया जाता है।अपील की अनुमति है।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ! सभी व्यव्हारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

आजाद सिंह (अनुवादक)